पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

भचडिया

गाँव - भचडिया

पंचायत - खेमपुर

तहसील - दोवड़ा, जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का परिचय - भचडिया गाँव जिला मुख्यालय डूंगरपुर से 25 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। भचडिया गाँव के उत्तर में खेमपुर, पूर्व में देवकी, दक्षिण में हथाई और पश्चिम में सडली गाँव बसे है । भचडिया की ग्राम पंचायत खेमपुर है । जिसमें भचडिया खेमपुर पंचायत का राजस्व गाँव है । खेमपुर पंचायत में चार गाँव है - भचडिया, वागदरी, खेमपुर और तोरनिया । गाँव में कुल 100 घर है जिसकी जनसंख्या लगभग 700 है । ज्यादातर घर गाँव में एस.टी. जनजाति के है जिनमे ननोमा, खराड़ी, अहारी, माल प्रमुख है । गाँव में एस.टी. जाति के अलावा ओ.बी.सी. जाति के पाटीदार तथा सुथार समाज के लोग रहते है । गाँव का कुल रकबा 266.64 हेक्ट है । गाँव में आजीविका का मुख्य स्त्रोत खेती और मनरेगा में मजदूरी है । गाँव में सरकारी राशन की दुकान नहीं है वह पंचायत के दूसरे गाँव खेमपुर में 3 किमी दूर है। वहाँ भी राशन की दुकान तय दिवस नहीं खुलती है और अनाज में मात्र गेहूं मिलता है। चावल, चीनी और मिट्टी का तेल अब त्यौहार आने पर ही दिया जाता है। गाँव के लगभग 40 घरों में बिजली कनेक्शन है जो उन्हें इंद्रा आवास और प्रधानमंत्री आवास के साथ राजीव गाँधी विद्युत योजना में दिया गया है । भचडिया गाँव से एक बड़ा बरसाती नाला बहता है, जिस पर 4 छोटे एनिकट बने है ।

गाँव में शिलालेख 28 जुलाई 2018 को किया गया और इसके अगले दिन ही बैठक बुला कर गाँवसभा गठन करके शांति समिति का चुनाव किया गया जिसमे शान्ति समिति के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों को चुना गया । प्रत्येक माह की एक निश्चित तारीख को गाँव सभा की बैठक शिलालेख स्थल पर की जाती है । शिलालेख स्थापना और लगातार होने वाली गाँवसभा की बैठकों से गाँव के लोगो में पेसा कानून और उसकी शक्तियों के बारे में समझ बनी है। भचडिया गाँव का पोस्ट ऑफिस खेमपुर गाँव में 3 किमी और पुलिस थाना दोवडा में 10 किमी दूर है । गाँव से घरेलू खरीदारी करने के लिए बाजार हथाई 3 किमी दूर है और मुख्य बाजार डूंगरपुर 25 किमी दूर है जहाँ पर लोग अपनी घर के सामान के अलावा शादी-ब्याह या त्योहारों की भी खरीदारी कर लेते है । गाँव में संसाधन के नाम पर पहाड़-बिलानाम जमीन-चारागाह जमीन, 4 एनिकट, 2 आर.ओ. प्लांट, 7 हैंडपंप, 32 कुएं, 3 मंदिर, 3 चौराहा, 1 बंद विद्यालय, 1 आंगनवाडी, 1 स्वास्थ्य केंद्र और 1 सामुदायिक भवन है ।

आवागमन की स्थिति - भचडिया गाँव जाने के लिए डूंगरपुर मुख्य बस स्टैंड से आसपुर जाने वाली सरकारी तथा प्राइवेट बस और जीप मिलती है, जो सवारी को खेमपुर बस स्टैंड उतारते है, फिर यहाँ से भचडिया ऑटो, मोटरसाइकिल या पैदल जा सकते है क्योंकि गाँव बस स्टैंड से 3 किमी की दूरी पर है । गाँव में 3 पक्की सड़के है जो मुख्य फलों को जोडती है, इसके अलावा 5 सी.सी. और 4 कच्ची सड़के है । भचडिया जाने वाली रोड का डामर उखड गया है जिस वजह से रोड पर धूल और गिट्टी उडती है, अक्सर चलने वालों को फिसलने के वजह से दुर्घटना का शिकार बनना पड़ता है । कुछ घर छोटी छोटी पहाडियों पर बने है जहाँ घरों तक आने जाने के लिए पगडण्डीयां है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गाँव में बीमार लोगों के इलाज के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन सही व्यवस्था नहीं है । गंभीर मरीजों को इलाज के लिए 25 किमी दूर डूंगरपुर लाना पड़ता है। पहाड़ी पर

रहने वाले मरीजों को घर से खाट में डालकर नीचे मेन रोड लाया जाता है फिर ऑटो में लिटा कर खेमपुर बस स्टैंड से 108 एम्बुलेंस की मदद से डूंगरपुर अस्पताल ले जाना पड़ता है ।

गाँव में शिक्षा की स्थिति काफी निम्न है वहा पर पहले 1 प्राथमिक विद्यालय था जिसे बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ बच्चों का नामांकन नहीं हो रहा था और कोई अध्यापक भी नियुक्त नहीं था । वर्तमान में गाँव के बच्चे पढने के लिए खेमपुर गाँव के स्कूलों में जाते है । वहाँ भी 2-3 निजी स्कूल है जो गाँव के ही बी.एड. डिग्रीधारी लोग चलाते है । लेकिन इन स्कूलों में भी मिलने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती है । बहुत ही कम विद्यार्थी उच्च शिक्षा लेते है, कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चों को 25 किमी दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है। गाँव में बीमार पालतू पशुओ के लिए पशु चिकित्सालय नहीं है इसके लिए 7 किमी दूर फलोज आना होता है ।

भचडिया गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं -

आवागमन की कमी - भचडिया गाँव में आवागमन की बहुत समस्या है क्योंकि कहीं आने जाने के लिए बस या ऑटो खेमपुर बस स्टैंड से मिलते है । जिसके लिए कम से कम 3 किमी पैदल चलना पड़ता है या फिर स्वयं की मोटरसाइकिल से जाना पड़ता है । गाँव की सभी सड़के भी खस्ता हाल है । गाँव की मुख्य सड़क के टूटा हुआ होने से गाँव के अंदर तक आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गाँव में रास्ते के अभाव से सबसे अधिक परेशानी पहाडियों पर रहने वाले लोगों और बीमार, बूढ़े और बच्चों को होती है। अधिक पक्के और सीसी. रास्ते पाटीदार बस्ती की ओर है ।

भूमि प्रबंधन का अभाव - गाँव के पहाड़, बिलानाम और चारागाह जमीन पर गाँव के लोगो का कब्ज़ा है । उन्होंने वहाँ पर घर, कुएं और खेत बना लिए है । गाँव में कुछ बड़े पहाड भी है जिनके नीचे की ओर कुछ समतल मैदानी जमीन है, जिसका अधिकतर हिस्सा गाँव के पाटीदारो के अधिकार में है । बाकी छोटी पहाडियों की ढलानें, उबड़-खाबड़ तथा पथरीली जमीन है। गाँव के पहाड़ सूखे व नंगे है उनमे पत्थर है इसका उपयोग गाँव के लोग घर बनाने या खेत की मेड बनाने में काम में लेते है, कुछ पाटीदार परिवार के लोग पहाड़ों से अवैध रूप से पत्थर निकाल कर बेचते है । जिन छोटी पहाडियों पर लोगो का कब्ज़ा है उन्होंने उस पर सागवान, आम के पेड़ लगा रखे हैं। गाँव में जंगल नहीं बचा है । लोगो को उनकी काबिज जमीन का पट्टा नहीं मिला है जिससे कभी भी सरकार उनकी जमीन को अपने अधिकार में लेकर छीन सकती है। बारिश में कुछ पहाड़ो पर बबूल के पेड़ ऊग आते है जो किसी काम नहीं आते है । पहाडियों पर जंगल को उगाने और विकसित करने में लोगो को कोई रूचि नहीं है, वे इसे सरकार और वन विभाग का कार्य मानते है । लोगो में शंका है कि जिस तरह से जंगल पर वन विभाग का कब्जा कर लिया है उसी तरह अगर वृक्षारोपण किया गया तो उनकी कब्जे की जमीन को भी वन विभाग अपने अधिकार में कर लेगा, जिसके चलते वृक्षारोपण के प्रति भी उदासीनता है। हालाँकि कुछ लोगो ने अपने खेत में उपयोग में लेने हेतु सागवान, महुआ, आम लगा रखे है ।

जल प्रबंधन की कमी - गर्मी के मौसम में गाँव में पानी की विकट समस्या खड़ी हो जाती है । नाला, हैंडपंप, कुएं, बोरवेल सभी जल-स्त्रोतों में पानी लगभग ख़त्म हो जाता है । गाँव में एक बड़ा पुराना सार्वजनिक कुआँ है जिसमे साल भर पानी रहता है । उसका पानी सिंचाई, पशुओ को पिलाने में काम आता है । गाँव में 1 बड़ा बरसाती नाला है जिसमे पानी को रोकने के लिए 4 (2 नये, 2 पुराने) एनीकट बने है, लेकिन उसमे गर्मी की शुरुआत में ही पानी खत्म हो जाता है क्योंकी गाँव के लोग बोरवेल और मोटरपम्प से पानी खीच लेते है । उचित भू-जल संरक्षण नीति, जल संरक्षण के प्रति उदासीनता के चलते पानी सूख जाता है और भूजल-स्तर लगातार नीचे जा रहा । मार्च के बाद अधिकतर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। वर्तमान में गाँव का जल-स्तर 250 फीट से नीचे जा चुका है । साथ ही साथ पानी में फ्लोराइड की मात्रा भी अधिक है ।

कृषि व पशुपालन की स्थिति -गाँव में कृषि व्यवस्था बारिश के मौसम पर निर्भर है क्योंकि सिंचाई के लिए पानी की कमी है । गाँव में मक्का, उड़द, मुग, चना, और बोरवेल के पानी से धान और गेहूं पैदा करते हैं। आदिवासी लोगों के पास पहाड़ों की ढलान वाली, उबड़-खाबड़ पथरीली खेती की जमीन है। गाँव में अधिकतर समतल जमीन पाटीदार किसानो के पास है । बारिश के अलावा वे ही लोग फसल उगा पाते है जिनके पास निजी बोरवेल है लेकिन वे भी ग्रीष्मकाल के अंत तक पानी की समस्या से त्रस्त हो जाते है । जिनके पास समतल जमीन है वही धान, गेहूं और चना पैदा कर पाते है, पैदा होने वाला अनाज छ माह चल जाता है । गाँव के लोग खाने में गेहूँ, धान, मक्की, दाल और चावल खाते है, । इसके अलावा कुछ लोग मांसाहार भी करते है । पशुपालन में लोग गाय भैंस बैल बकरी इत्यादि पालते हैं लेकिन देसी नस्ल होने के कारण गाय डेढ़ किलो और भैस दो किलो ही दूध देती है, इसमें केवल घर के छोटे बच्चों के पीने की आपूर्ति हो पति है और दो समय चाय बन पाती है। पशुओ के लिए चारा भी बारिश में होता है, चारा बाजार से खरीदते है जो 8 रूपए प्रति पुली भाव से मिलता है ।

रोजगार की स्थिति - गाँव में आजीविका का मुख्य साधन खेती है इसके अलावा मनरेगा में मजदूरी रोजगार का दूसरा उपलब्ध विकल्प है। मनरेगा में 100 दिवस काम नहीं मिलता है और मिलने वाली मजदूरी भी इतनी कम होती है कि परिवार की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है । नरेगा में 100 रु. से कम मजदूरी मिलती है। अच्छी शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के अभाव में गाँव के लोग बेरोजगारी से बचने के लिए जिले के नजदीकी शहरों में मजदूरी के लिए जाते हैं, जहाँ कडिया काम मिल जाता है । जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से लोग गुजरात के शहरों में मिलों और फेक्ट्रीयों में मजदूरी करने जाते हैं। जहां वह 250 से 300 रूपए दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बेरोजगारी की चिंता इस हद तक बढ़ गयी है कि गाँव के 18 से 22 साल के युवा रोजगार के लिए गाँव से पलायन कर रहे है ।

सरकारी योजनाओ की स्थिति

गाँव में सरकारी योजनओं की स्थिति भी ख़राब है, जैसे- पेंशन का बंद होना, आवास न मिलना या क़िस्त बकाया होना, शौचालय न बनना या भुगतान बकाया होना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन न मिलना, राशन की दुकान से मिटटी का तेल नहीं मिलना, श्रमिक कार्ड न बनना, मनरेगा में सौ दिन काम नहीं मिलना, समय से पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं मिल पाता है। इसका मुख्य कारण बात न उठाना, सरकारी विभागों तथा गाँव के जनप्रतिनिधियों में व्याप्त भ्रष्टाचार हैं। सबसे अधिक समस्या मनरेगा में है इसमें लोगों का आवेदन तो होता हैं लेकिन आवेदन की रसीद नहीं देते हैं जिस कारण उनको 100 दिन काम नहीं मिल पाता है। किये गये काम का पूरा दाम भी नहीं मिलता है । मस्टर-रोल में फर्जी नाम डाल देने से भी उनको पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। 100 दिन काम नहीं मिलने से श्रमिक कार्ड से भी लोग वंचित हो जाते हैं। बड़ी परेशानी उन गाँव वालों को होती है जिन्हें उज्ज्वला गैस नहीं मिली है और उनका मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया गया है । उन लोगों के लिए यह स्थिति नहीं है जो बाजार से 70 रु. प्रति लीटर मिट्टी का तेल खरीद सकें। जिन घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है उनको रात अंधेरे में गुजारनी पड़ती है। अँधेरे में रात को बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। जिन घरों में बिजली है वे भी विद्युत विभाग के बिना मीटर रीडिंग के ही मनमाने तरीके ज्यादा बिल देने की समस्या से परेशान है । पेंशन पाने की उम्र हो जाने पर भी लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती है। न तो उनका कोई आवेदन करने वाला है न ही कोई उम्र संशोधन करवाने वाला।

गाँव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं-

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल नाला नहर एनिकट कुआं बोरवेल हैंड पंप	गाँव में एक बड़ा बरसाती नाला है जो बारिश में ही चलता है, उस पर 4 एनिकट है जिनमे बरसात में पानी भरा रहता है । गाँव में एक नहर है जो करीब 10 सालों से बंद है । गाँव में 32 कुए है उनमे से ज्यादा तो गर्मी में सूख जाते है । गाँव के कुछेक लोगो ने अपने निजी बोरवेल करवा रखे है । जो 250 फीट से गहरे है । उनमे भी गर्मी के दिनों में जलस्तर नीचे चला जाता है । गाँव के 7 हैंडपंप में से 4 हैंडपंप गर्मी में सूख जाते है । गाँव के पीने का पानी फ्लोराइड युक्त है ।	नाले और पहाडियों से बारिश का पानी बहने से रोकने के लिए एनीकट तक चेकडैम बनाना । एक तालाब का निर्माण करना ताकि नाले और एनिकट के पानी को पूरे वर्ष तक रोका जा सके और इससे नहर को फिर से चालू कर पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है । तालाब बनने और एनिकट मरम्मत होने से पूरे वर्ष पानी रुकने पर गाँव के अधिकतर लोगों के सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा सकती है और गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है। भूजल स्तर ऊंचा होने से कुओं में भी वर्ष भर पानी रहने से

		पीने के पानी की उपलब्धता संभावना बढ़ जाएगी। हैंडपंप की मरम्मत करके लोगों को गर्मियों में पानी के संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है और ट्यूबवेल की बजाय कूओ से पानी निकालने पर गाँव सभा को निर्णय करना होगा।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	गाँव की जमीन उबड़-खाबड़ और पथरीली पहाड़ी है । बेनामी जमीन, चारागाह पर लोगों का कब्जा है। बहुत कम जमीन सिंचित है, बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। खातेदारी जमीन का पट्टा नहीं मिला है । गाँव की लगभग सारी समतल जमीन पर पाटीदारो का कब्ज़ा है । आदिवासीयों के पास उबड़-खाबड़ पथरीली और ढलान वाली ही जमीन है ।	गाँव की उबड़-खाबड़ और पथरीली जमीन को योजना के तहत समतल करवाकर उपयोग में लेना । खाली जमीन जिस अभी कटीली झाडिया है उन्हें हटाकर खेती योग्य बनाना और जंगल को विकसित करके सागवान, आम, महुआ से आमदनी की जा सकती है । सागवान की लकड़ी कों फर्निचर कारखाने में बेच कर आय की जा सकती है । चारागाह की भूमि का बेहतर प्रबंधन करने, उन्नत कृषि तकनीकी उपयोग और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों को जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है।
पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी	गाँव में लोग गाय, भैंस, बैल तथा बकरीपालन करते हैं। लेकिन पशुओं के लिए होने वाला चारा खेती में होता है जो मार्च-अप्रैल माह तक खत्म हो जाता है। इसके बाद लोगों को पशुओ के लिए चारा खरीदना पड़ता है। केवल बरसात में चारे की समस्या से राहत रहती है । गाँव के पहाड़ में बारिश के	बेहतर नस्ल की गाय, भैस और बकरीपालन से इनके दूध का भी बंदोबस्त सकता है, इन्हें बाजार में बेच कर आय की जा सकती है । पशुओं के चारे और अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था गाँव की पहाड़ियों और बेकार पड़ी जमीन से और सरकारी विभागों के सहयोग से की जा सकती है । इसके लिए गाँव

	समय भी इतनी अधिक मात्रा में चारा नहीं होता है । पौष्टिक चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है। चारे की कमी के साथ-साथ पशुओ की अच्छी नस्ल नहीं होना भी दूध कम देने का कारण है।	के लोगों को सामूहिक रूप से बैठकर अपनी सहमति से कृषि और पशुपालन विभाग की मदद से चारे और देसी की जगह अच्छी नस्ल के पशुओं की समस्या का समाधान किया जा सकता है ।
पहाड़	पहाड़ पर गाँव के लोगो का कब्ज़ा है, यहाँ पहाड़ो में अच्छी मात्रा में पत्थर है । लेकिन इसका व्यावसायिक खनन नही होता है । गाँव के कुछ पाटीदार परिवार के लोग पहाड़ों से अवैध रूप से पत्थर निकाल कर बेचते है । इसके अलावा अन्य किसी भी खनिज के मिलने जानकारी नहीं है।	गाँवसभा द्वारा प्रयास करके आवश्यकतानुसार खनन किया जा सकता है और उससे होने वाली आय को गाँव के विकास कार्यो में लगाया जा सकता है, लेकिन यह इस हद तक की गाँव को नुकसान ना हो । अभी हाल में 2018 में गाँव सभा बन जाने के बाद पाटीदारो द्वारा अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है ।

गाँव सभा द्वारा चयनित समस्याएं -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव की मुख्य पक्की सड़क टूट गयी है । टूटे हुए रास्तों से मिटटी कंकड़ उड़ते है जो सड़क किनारे रहने वालों और राहगीरों कों चोट और नुकसान पहुचाते है । सी.सी. और कच्चे रास्ते भी उपेक्षा के शिकार है । एक बार बनाने के बाद टूटने पर पेचवर्क न होना । बारिश के मौसम	टूटी हुई सडको की समस्या से निपटने के लिए गाँव सभा द्वारा प्रस्ताव लिया गया है। पगडण्डी को चौड़ा करते हुए सीसी. सडक से जोड़ना । ग्राम पंचायत बैठक में गाँव सभा के अधिक से अधिक लोग इसे वरीयता देते हुए पंचायत स्तरीय एक्शन प्लान में जोड़ने पर जोर	तात्कालिक

			में समस्या और बढ़ जाती है । सबसे ज्यादा तकलीफ बीमार लोगो और गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने में होती है ।	देंगे । साथ ही साथ पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना ।	
2	**शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गाँव में एक प्राथमिक स्कूल है जिसमे अध्यापक नहीं होने के कारण लोग अपने बच्चों को खेमपुर गाँव में पढने के लिए भेजते है । सरकार ने बच्चों के नामांकन नहीं होने के नाम पर स्कूल बंद कर दिया है, जबकि सरकार को वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए थी ।	गाँव सभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक स्कूल पुनः शुरू कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भी ज्ञापन दिया जायेगा ।	तात्कालिक
3	**कृषि समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव की कृषि पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है । उबड़ खाबड़ पथरीली जमीन और छोटी पहाड़ियों और उन्नत किस्म के बीजो तथा अच्छी खाद के अभाव में खेती का उत्पादन भी बहुत ही कम होता है। केवल पाटीदार परिवार के पास समतल भूमि है, उन लोगों ने सिंचाई के लिए व्यक्तिगत बोरवेल लगा रखे है ।	खेतों का समतलीकरण। बरसात के पानी को रोकने के लिए पहाडियों पर चेकडेम निर्माण और एनिकट मरम्मत, खेत तलावड़ी निर्माण करना। उन्नतशील बीज और खाद की उपलब्धता के साथ खेती के जमीनों की उर्वराशक्ति को बढ़ाना।	तात्कालिक
4	**काबिज भूमि**	**सार्वजनिक/**	गाँव में लोगो को उनकी	गाँव के लोगों में काबिज	दीर्घकालिक

	पर खातेदारी का हक नहीं मिलना	**व्यक्तिगत**	कब्जे की जमीन का पट्टा नहीं मिला है जिनके पास है वो भी बहुत कम जमीन है । पट्टे न मिलने और पट्टे की जमीन की पेनाल्टी भी राजस्व विभाग द्वारा बंद कर दी गयी है जिससे गाँव वालों को भविष्य में अपनी जमीन के छीन जाने का डर है ।	भूमि पर प्रस्तुत पट्टो के दावों की पैरवी के प्रति लोगों में उदासीनता के चलते पट्टे नहीं मिल रहे हैं और जिन के पट्टे मिल गए हैं उनके नियमन के दावे की भी जिम्मेदारी गाँव सभा द्वारा कराने और पेनाल्टी को राजस्व विभाग में जमा करके रसीद लेने का निर्णय लिया गया है।	
5	**आवास एवं शौचालय निर्माण और उसके भुगतान संबंधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	आवास और शौचालय बन गये है और उनके फोटो भी ले लिए गये है लेकिन भुगतान की दूसरी और तीसरी क़िस्त बहुत से लोगो की बाकी है। इसमें भी बिचौलिये लोग रुपये दिलाने के लिए कमीशन मांगते है ।	गाँव सभा ने इस समस्या के समाधान के लिए बैठक में जरूरतमंद लोगों के आवास निर्माण और बकाया भुगतान के लिए आवेदन करने की कमेटी बनाकर उसे इसकी जिम्मेदारी दी गई है।	तात्कालिक
6	**पेयजल की समस्या**	**व्यक्तिगत**	गाँव में गर्मियों के दिनों में लोगों के सामने पीने के पानी का विकट संकट आ जाता है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। गाँव में जल संरक्षण न करना और भूजल स्तर नीचे जाने संकट बढता जा रहा है । पानी में फ्लोराइड की मात्रा	बरसात के पानी को पूरे वर्ष नाले और तालाब, एनिकट में रोकने की योजना बनाना बरसात के पानी को फिल्टर करके पीना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	तात्कालिक

			होने से शारीरिक बिमारिया हो रही है ।		
7	**आंगनवाडी की समस्या**	**सार्वजानिक**	गाँव में एक आंगनवाडी है लेकिन यह एक घर में संचालित की जा रही है ।	आँगनवाडी का भवन बना कर स्वतंत्र रूप से चलाना ।	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - पक्की सड़कें सी.सी. सड़के कच्चे रास्ते	टूटी हुई पक्की और सी.सी. सडको को ठीक नहीं करना । कच्चे रास्ते को सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आने जाने में आसानी हो सकती है, बुजुर्ग, बिमार, गर्भवती महिलाओ, स्कूल जाने वाले बच्चों को आसानी हो जाएगी । छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में समस्या को लेकर आगे नहीं आना ।
जल नाला एनीकट कुआं बोरवेल हैंड पंप	गाँव में नाला, एनिकट, में पानी बरसात के बाद दो माह ही रहता है, फिर सूख जाता है । यही हाल अन्य जल स्त्रोतों के है की कुओं, हैंडपंप और बोरबेल में भी पानी ग्रीष्म ऋतु में ख़त्म हो जाता है । पानी का लेवल 250 फीट गहराई में चला गया है । पेयजल फ्लोराइड से दूषित है ।	गाँव के तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तथा बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू-जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं। फ्लोराइड की समस्या से अधिक प्रभावित फलों में छोटे आर.ओ. प्लांट लगाना ।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्य योजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता । पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक

आजीविका के साधन	नरेगा और खेती के अलावा अन्य कोई आजीविका का साधन गाँव में नहीं है । उन्नत बीज नहीं, कृषि उत्पादन कमी और अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव। जंगल को पुनर्जीवित करने की योजना का आभाव।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण कर जंगल को विकसित कर आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं। अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन । अच्छी शिक्षा और तकनीकी जानकारी और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से परिवार की आय बढाई जा सकती है । पशुपालन, मधुमक्खीपालन, मुर्गीपालन, सब्जी की खेती से भी लोगो की आमदनी बढायी जा सकती है ।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव । उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी । तकनीकी जानकारी और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशालाओ में सरकारी लोगो की ख़ासी रूचि नही होना ।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा-

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	**पेंशन सम्बंधित प्रस्ताव**	
	वृद्धा पेंशन	4
	विधवा पेंशन	4
	पालनहार	2
2	पी. एम. आवास सम्बंधित प्रस्ताव	66
3	शौचालय की निर्माण / बकाया राशि भुगतान सम्बंधित प्रस्ताव	3
4	उचित मूल्य की दुकान निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	1
5	आंगनवाडी भवन निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	1

6	**रास्ता निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव** कच्चा रास्ता सी.सी. सड़क	 3 7
7	तालाब रिन्ग्वाल निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	3
8	**हैंडपंप सम्बंधित प्रस्ताव** नये हैंडपंप पुराने हैंडपंप मरम्मत	 2 4
9	**केटेगरी-4 के कार्य** भूमि समतलीकरण, पशुबाड़ा, खेत तलावडी, नये कुएं, पुराने कुएं गहरीकरण, मेडबंदी	37
10	चेकडेम निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	1
11	एनिकट निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	1
12	शमशान घाट निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	1
13	आर. ओ. लगवाने सम्बंधित प्रस्ताव	
14	नया सामुदायिक भवन निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव पुराना सामुदायिक भवन मरम्मत सम्बंधित प्रस्ताव	1 1
15	जंगली बबूल हटाने के सम्बंधित प्रस्ताव	1
16	सामाजिक विवाद निपटारे सम्बंधित प्रस्ताव	1
17	सामाजिक कुरीतियों कों खत्म करने सम्बंधित प्रस्ताव	1

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

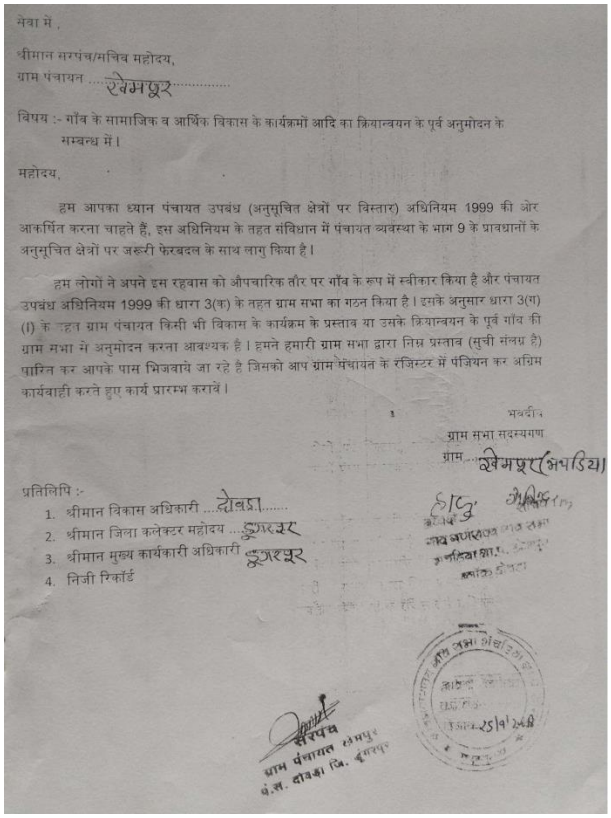

सेवा में ,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ....खेमपुर..............

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग)(I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा में अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ...खेमपुर(भपडिया)

प्रतिलिपि :-
1. श्रीमान विकास अधिकारी ....दोवड़ा.......
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....डूंगरपुर
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डूंगरपुर
4. निजी रिकॉर्ड

सरपंच
ग्राम पंचायत खेमपुर
पं.स. दोवड़ा जि. डूंगरपुर

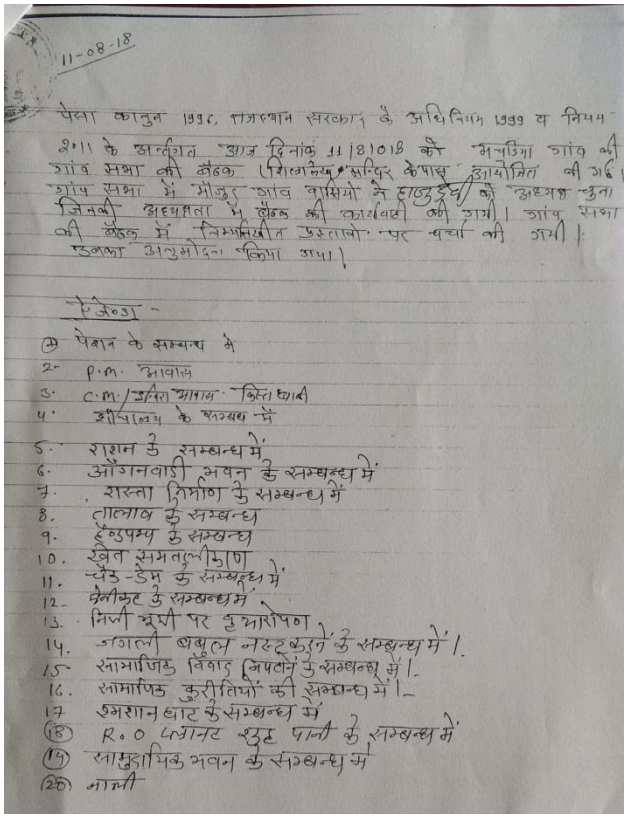

11-08-18

पेसा कानुन 1996, राजस्थान सरकार के अधिनियम 1999 व नियम 2011 के अर्न्तगत आज दिनांक 11/8/018 को मचडिया गांव की गांव सभा की बैठक शिवालय मन्दिर के पास आयोजित की गई। गांव सभा में मौजुद गांव वासियो ने हाजु ईश्वर को अध्यक्ष चुना जिनकी अध्यक्षता मे बैठक की कार्यवाही की गयी। गांव सभा की बैठक में निम्नलिखीत प्रस्तावो पर चर्चा की गयी। इनका अनुमोदन किया गया।

ऐजेण्डा -

(1) पेशन के सम्बन्ध मे
2- P.M. आवास
3. C.M./इन्दिरा आवास किस्त धारक
4. शौचालय के सम्बध मे
5. राशन के सम्बन्ध में
6. आँगनवाड़ी भवन के सम्बन्ध में
7. रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में
8. तालाब के सम्बन्ध
9. हैण्डपम्प के सम्बन्ध
10. खेत समतलीकरण
11. चैक-डेम के सम्बन्ध में
12. कैनीकट के सम्बन्ध में
13. निजी भूमी पर वृक्षारोपण
14. जंगली बबुल नस्ट करने के सम्बन्ध में।
15. सामाजिक विवाद निपटाने के सम्बन्ध में।
16. सामाजिक कुरीतियों की सम्बन्ध में।
17. श्मशान घाट के सम्बन्ध में
(18) R.O प्लानट शुद्ध पानी के सम्बन्ध मे
(19) सामुदायिक भवन के सम्बन्ध मे
(20) नाली

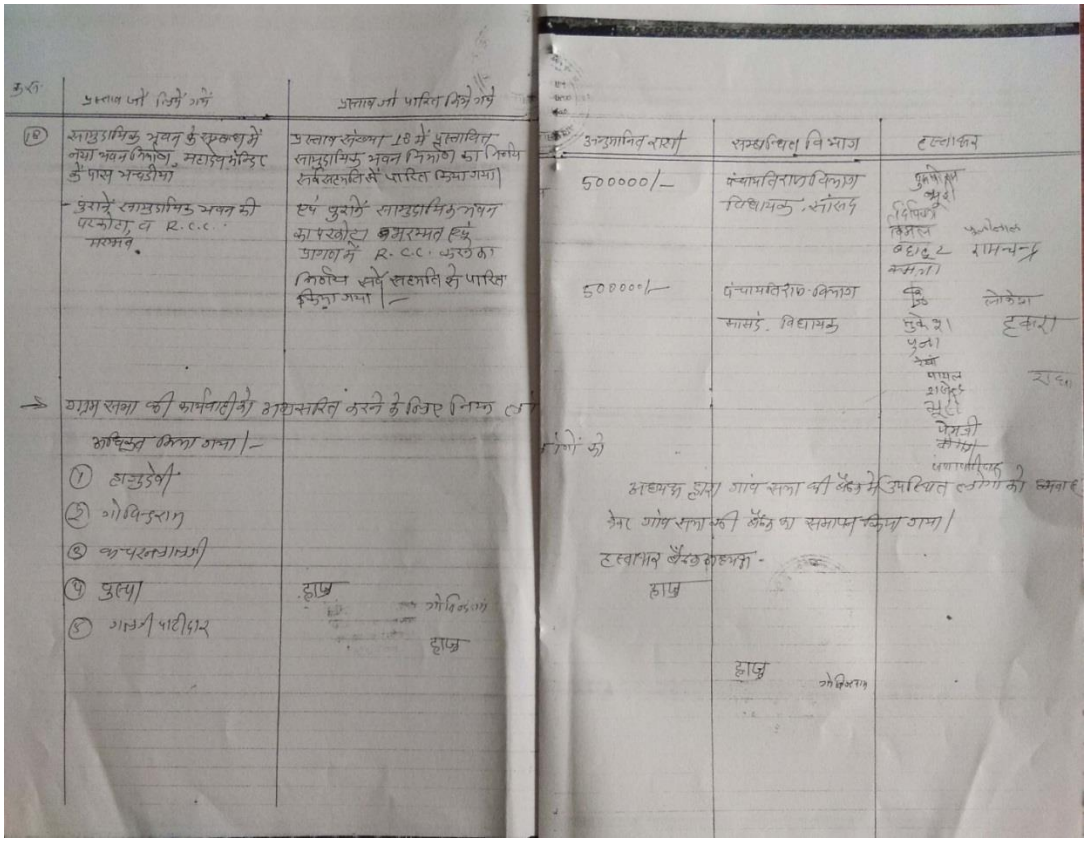

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)-

1. हकरा जी ननोमा 9571356373
2. गोविन्दराम 9829790668